राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.1(2)(8)स्था/मबावि/88/ 113871

जयपुर, दिनांक 30.8.16

आदेश

राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम,1998 एवं संशोधित नियम 2009 के प्रावधानानुसार पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र की चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना 7(2)डीओपी/ए–2/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना 12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006 एवं वित्त विभाग के आदेश एफ 14(1) वित्त/नियम/2014–II दिनांक 8.6.2015 के अनुसार दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए रूपये 8910/– प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर निम्न शर्तो पर महिला पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के पद पर रखा जाता हैः–

1– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। इसी प्रकार एडहॉक बोनस के हकदार भी नहीं होगें।

2– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा और यह अवकाश एक कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

3– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण के दौरान यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि वह कार्य (ड्यूटी) के दौरान यात्रा पर है तो यात्रा भत्ते का भुगतान देय होगा।

4– नियत पारिश्रमिक में से सामान्य प्रावधायी निधि एवं राज्य बीमा हेतु कटौती नहीं की जावेगी।

5– वैदेशिक सेवा, प्रशिक्षण के दौरान इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

6– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी आदेश प्राप्त के तुरन्त बाद आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि (दिनांक 14-9-2016 तक) में उनके नाम के आगे अंकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में उपस्थित होकर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को अपनी उपस्थिती रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें तथा एक प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाएगी। निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यार्थियों के आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

7– कार्यग्रहण करने से पूर्व 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो।

8– कार्यग्रहण के अभ्यार्थी को आरोग्य प्रमाण पत्र जो जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

9– बाल विकास परियोजना अधिकारी संबंधित अभ्यार्थी से समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/डिग्री (सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी,स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड इत्यादि) जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र प्राप्त कर मूल प्रमाण पत्रों से प्रमाणित कर पत्रावली संधारित करेगें।

10– कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध (बॉन्ड) स्वयं के खर्चे पर 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में भरकर बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र संलग्न)

11– दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी का कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाऐं बिना किसी प्रकार की सूचना अथवा कार्यवाही के समाप्त की जा सकती है तथा अभ्यार्थी किसी प्रकार के क्लेम का हकदार नहीं होगा।

12– दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी का स्थानान्तरण प्रथम पदस्थापन स्थान से किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र नहीं किया जावेगा।

13– परिवीक्षाधीन पर्यवेक्षक को कार्यग्रहण के पश्चात् आयोजित होने वाले प्रशिक्षण तथा परिवीक्षा अवधि में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इन प्रशिक्षणों में भाग नहीं लेने वाली पर्यवेक्षकों की सेवाऐं समाप्त कर दी जावेगी।

14– कार्यग्रहण पश्चात् महिला पर्यवेक्षकों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को 7–7 दिवस के कार्य प्रशिक्षण हेतु निर्देशित प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिती सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जिसकी सूचना प्रथक से दे दी जावेगी।

15– गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होगें।

क.सं.	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथी	श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1	130449	30	वैशाली शर्मा	विनोद शर्मा	10–9–90	सामान्य महिला	अटरू (बारां)
2	269861	337	सुनीता मेघवाल	रामनिवास	18–11–95	एससी महिला	जायल (नागौर)
3	131047	340	संगीता नागर	कृष्ण मुरारी	2–2–92	ओबीसी (एसएएचएफ)	अन्ता (बारां)

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एफ.1(2)(8)स्था/मबावि/10/113872-896 जयपुर, दिनांक 30.8.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय राज्य मंत्री महोदया,महिला एवं बांल विकास विभाग,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव,शासन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग,राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक,समेकित बाल विकास सेवाऐं,राज0 जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
5. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजकर लेख है कि महिला पर्यवेक्षकों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों) की कार्यग्रहण की एकजाई रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाया सुनिश्चित करें।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि संबंधित जिले के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत होने पर राजकीय सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का श्रम करें।
7. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, ...को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन संचालित परियोजना में पदस्थापित महिला अभ्यर्थियों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के राज्य सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने का मूल सहमति पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने न हो प्राप्त कर एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र/दस्तावेज यथा–विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र आदि प्राप्त करना सुनिश्चित करें, तथा कार्यग्रहण की रिपोर्ट उपनिदेशक के माध्यम से विभाग को अविलम्ब निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। कार्यग्रहण के पश्चात् उक्त प्रशिक्षण से पूर्व अथवा पश्चात् इन महिला पर्यवेक्षकों को नियमित कार्यभार सौंपने से पूर्व आप द्वारा वर्तमान में कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों के साथ 7 दिवस का फील्ड प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संबंधित महिला पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) ....को भेजकर लेख है कि आप राज्य सेवा हेतु उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं नियत पारिश्रमिक पर कार्य करने का सहमति पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने न हो एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करते हुए नियत अवधि में कार्यग्रहण करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जावेगें।
9. व्यक्तिगत पत्रावली।
10. आदेश पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

बन्ध पत्र

यह बन्ध पत्र आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को एक पक्ष के श्री / श्रीमती ..... पत्नी / पुत्री ..... दूसरे पक्ष के श्री ..... पुत्र निवासी जयपुर (प्रथम जामीन) और श्री ..... पुत्र ..... निवासी ..... (द्वितीय जामीन) को एतद् पश्चात् सामूहिक रूप से जामीन कहलावेंगे, की ओर से राजस्थान राज्य का राज्यपाल (जो एतद् पश्चात् सरकार कहलावेंगे) के पक्ष में लिया गया।

चूंकि नियमानुसार प्रशिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक प्रशिक्षण प्राप्त करें।

और चूंकि सरकार उक्त प्रशिक्षार्थी को एतद् पश्चात् लिखी शर्तो पर और इस शर्त पर कि जामीन यह जमानत (सिक्यूरिटी) देंगे कि प्रशिक्षाणी द्वारा कथित शर्तो के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखने को (सरकार) सहमत हो गई,

और चूंकि जामीन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो को पूर्णतः अनुपालन निम्न दर्शाई गई पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये है :—

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :—

1. कि सरकार द्वारा प्रशिक्षार्थी नियमानुसार कर और कथित ईकरारनामें के अनुसरण में उसे प्रशिक्षण हेतु चलन करने के प्रतिफल (कन्सीट्रेशन) में प्रशिक्षार्थी एतद द्वारा सरकार से संविदा (इकरार) करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा से न तो त्याग पत्र देगा और न सेवानिवृत्त होगा।
2. यह कि ऊपर लिखित प्रतिफल (कन्सीट्रेशन) और उक्त कथित इकरार नामे के अनुसरण में प्रशिक्षण और जामीन एतद द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षाण पूर्ण होने के एक या दो वर्ष की अवधि के अन्दर यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा त्याग पत्र देता है कि या उक्त अनुच्छेद का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन (एम्पलायमेन्ट) स्वीकार करता है तो प्रशिक्षार्थी और जामीन संयुक्त रूप सें और अलग (सेवेरती) रूप से राज्य सरकार को समस्त राशि अदा करेंगे जो सरकार ने प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थी को देना है एवं इसके साथ वे सब अन्य व्यय जो भी जोड़ा जावेगा इसमें सरकार को व्यय करने पडे किन्तु प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षार्थी के लिये गये यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं होगी।

बशर्ते कि प्रशिक्षार्थी और जामीन को प्रशिक्षार्थी के प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि जब तक लौटानी पडेगी जब तक कि सरकार की राय प्रशिक्षार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य को नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसके साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध पत्र प्रशिक्षार्थी और जामीनों द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है।

प्रशिक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य.....	साक्ष्यी.....
प्रथम जामीन द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य.....	साक्षी.....
द्वितीय जामीन द्वारा हस्ताक्षरित	
साक्ष्य.....	साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित जामीनों के स्वामित्व (प्लेज) में स्थायी सम्पत्ति (इमूवेल प्रोपर्टी) जिसका मूल्याकंन (वेल्यूशन) रूपये 1,50,000 से कम नहीं है।

हस्ताक्षर जिलाधीश / सहायक जिलाधीश / तहसीलदार

विशेष ध्यान हेतु इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित रशि से कम नहीं चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थी को दे दी गई थी।